Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/413

कस्तूरा आत्मज हरनाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 10/दावा/2014

कस्तूरा आत्मज हरनाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 01.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनपांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 01.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

1/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/413

कस्तूरा आत्मज हरनाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 01.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उगेन तहसील नैनवा आराजी खसरा नम्बर नई 243 व पुरानी 189 की रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्ष 1965 में वादी को आवंटित हुई थी । वादी इस भूमि पर वर्ष 1965 से ही निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वादी को गैर खातेदारी अधिकार दिये गये थे। वादी नियमानुसार 12 वर्ष की अवधि गुजर जाने के बाद उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वादी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर नया 243 व पुराना 189 की रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा का वादी को गैर खातेदार कृषक से खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अपीलान्ट को लोक अदालत में उपस्थित होने से के सम्बन्ध में कोई नोटिस ही प्रदान नहीं किया गया था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थित दर्ज कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । पत्रावली लम्बे समय से जवाब वास्ते सरकार में लम्बित थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सूचना व जानकारी के उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.05.2018 को वकील साहब से मिलने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का दावा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज कर दिया । अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी गई थी और न ही अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थित में गुणावगुण के आधार पर दावा खारिज किया है । अपीलान्ट को खसरा नम्बर 243 नया और पुराना 189 की आराजी वर्ष 1965 में आवंटित हुई थी तब से ही इस पर अपीलान्ट का कब्जा है । अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी नहीं खोली गई । इस कारण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया है । यदि अपीलान्ट उपस्थित नहीं था तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वर्ष 1965 में उनको आवंटित की गई थी । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक, घोषणा का दावा पेश किया है परन्तु उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं । वादग्रस्त सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक तहरीर संलग्न है जो पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है, इसमें आवंटन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर भी पठनीय नहीं हैं और राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2066 से 2069 के अनुसार हाल खसरा संख्या 243 की 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि सरकार के खाते में दर्ज है जिसकी किस्म बंजड है । तहसीलदार की रिपोर्ट के अुनसार वादग्रस्त आराजी सरकार के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में दखलनामा अथवा गैर खातेदार अधिकार दर्ज हुई नकल जमाबन्दी आदि पेश नहीं किये हैं । इस प्रकार अपीलान्ट ने अपने दावे में समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवाय चक भूमि है जिस पर धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस प्रकार अपीलान्ट वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है । यदि अपीलान्ट के पास आवंटन के वैध दस्तावेज हैं तो वह विधिक दस्तावेजों के साथ नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

13. निर्णय आज दिनांक 01.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा